



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10062026-273305  
CG-DL-E-10062026-273305

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2868]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 9, 2026/ज्येष्ठ 19, 1948

No. 2868]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 9, 2026/JYAISTHA 19, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2026

का.आ. 2962(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करते हुए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 1096 (अ), दिनांक 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 22 के लिए तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

## तालिका

(1)	(2)	(3)
"22	नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 38 [केवल वेल्लोर से विलुप्पुरम खंड (142 किमी)], संख्या 42, संख्या 75, संख्या 179ए, संख्या 181, संख्या 336 [त्रिची - कराईकुडी खंड (पुराना रारा-210) को छोड़कर], संख्या 381, रारा संख्या 381ए, संख्या 381बी, संख्या 532 और संख्या 648 के उतने भाग, जो तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है।	तमिलनाडु राज्य सरकार"

[फा. सं. एनएच-14013/7/2025-पीएंडएम]

शेख अमीनखान, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), दिनांक 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का.आ.-2667(अ), दिनांक 26 मई, 2026 द्वारा संशोधित किया गया था।

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 2026

**S.O. 2962(E).**— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4<sup>th</sup> August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 22 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

Table

(1)	(2)	(3)
"22	So much of New National Highway No. 38 [Vellore to Vilupuram section (142km) only], No. 42, No. 75, No. 179A, No. 181, No. 336 [excluding Tirchy - Karaikudi section (old NH-210)], No. 381, NH No. 381A, No. 381B, No. 532 and No. 648 as are situated within the State of Tamil Nadu.	State Government of Tamil Nadu".

[F. No. NH-14013/7/2025-P&amp;M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Note: -The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4thAugust, 2005 and was last amended vide number S.O. 2667(E), dated the 26th May, 2026.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2026

**का.आ. 2963(अ).**— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम (1) में तदनुरूपी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट, कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग खंड के अनुसार उक्त तालिका के कॉलम (3) में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, अर्थात्:-

## तालिका

रारा सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड	चैनेज
(1)	(2)	(3)
रारा-338	तमिलनाडु राज्य में मेलूर के निकट रारा-38 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर थानियामंगलम, जेयान्कोन्डनिलै को जोड़ते हुए, तिरुप्पत्तूर, पिल्लैयारपट्टी (ग्रीनफील्ड) के निकट रारा-36 के साथ ओवरलैप करने वाला और करार्डकुडी के निकट रारा-536 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।	संपूर्ण रारा तमिलनाडु राज्य में
रारा-383	तमिलनाडु राज्य में डिंडीगुल के निकट रारा-83 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर कोसावापट्टी, सनारपट्टी, गोपालपट्टी, नाथम, समुथिरापट्टी, कोट्टमपट्टी को जोड़ने वाला और तिरुप्पत्तूर के निकट रारा-36 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।	संपूर्ण रारा तमिलनाडु राज्य में

[फा. सं. एनएच-14013/7/2025-पी ऐंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

## NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 2026

**S.O. 2963(E).**— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national Highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

## Table

National Highways No.	Section of National Highways	Chainage
(1)	(2)	(3)
NH-338	The highway starting from its junction with NH-38 near Melur connecting Thaniyamangalam, Jeyankondanilai, overlapping with NH-36 near Tiruppathur, Pillayarpatti (Greenfield) and terminating at its junction with NH-536 near Karaikkudi in the state of Tamil Nadu.	Entire NH in the State of Tamil Nadu

NH-383	The highway starting from its junction with NH-83 near Dindigul connecting Kosavapatti, Sanarpatti, Gopalpatti, Natham, Samuthirapatti, Kottampatti and terminating at its junction with NH-36 near Tiruppattur in the state of Tamil Nadu	Entire NH in the State of Tamil Nadu
--------	--	--------------------------------------

[F. No. NH-14013/7/2025-P&M]  
SHAIKH AMINKHAN, Director

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2026

**का.आ. 2964(अ).**— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1883 (अ), दिनांक 25 अप्रैल, 2025 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की तालिका में, क्रमशः कॉलम संख्या (1), (2) और (3) के अधीन निम्नलिखित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा, अर्थात् :-

रारा-383	डिंडीगुल-कोट्टापट्टी खंड (तमिलनाडु राज्य में)	38.00 किमी
----------	---	------------

[फा. सं. एनएच-14013/7/2025-पी ऐंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

**टिप्पणः** मूल अधिसूचना को का.आ. 1883 (अ), दिनांक 25 अप्रैल, 2025 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

### NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 2026

**S.O. 2964(E).**— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1883(E), dated the 25th April, 2025, namely:-

In the Table to the said notification, the following entries, under columns number (1), (2) and (3) respectively shall be omitted:-

NH-383	Dindigul-Kottapatty Section (In the State of Tamil Nadu)	38.00 km
--------	--	----------

[F. No. NH-14013/7/2025-P&M]  
SHAIKH AMINKHAN, Director

Note:-The principal notification was published vide number S.O. 1883(E), dated the 25th April, 2025.